III. निवारक कार्रवाई

1. संगठनों में भेद्यताओं, नीतियों तथा ऐसी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां जो भ्रष्टाचार का खतरा उत्पन्न करती हैं, के बारे में संगठनों को सतर्क करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर परामर्श जारी किए गए हैं ।

i) आयोग ने दिनांक 03.03.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं0 11/03/10 द्वारा पिछले अनुदेशों को वापस ले लिया जो आयोग के दिनांक 05.02.1999 के परिपत्र सं0 99/डीएसपी/1 तथा दिनांक 20.06.2003 के परिपत्र सं0 99/डीएसपी/1 में उल्लिखित कठोर लघु/बड़ी शास्ति पर संदर्भित था ।

ii) आयोग ने दिनांक 05.03.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं0 12/03/10 द्वारा सभी विभागों/संगठनों को निदेश दिया था कि सतर्कता कार्य/गतिविधियों की समीक्षा के लिए मासिक तथा त्रैमासिक अवसंचरित बैठकें करें ।

iii) आयोग ने दिनांक 09.03.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं0 13/03/10 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को निदेश दिया था कि विभागीय जांचों को समय पर समाप्त करना सुनिश्चित करें ।

iv) आयोग ने दिनांक 16.03.2010 के अपने परिपत्र सं0 34/12/09 द्वारा न्यायालयिक विज्ञान (फोरेन्सिक साईन्स) के प्रयोग के संबंध में परामर्शी जारी की है ।